(130)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी-4829/2018/राजगढ़/भू.रा. प्रकरण क्रमांक : ....

01. कंवरलाल आत्मज भैरूलाल, वयस्क
02. पान बाई पुत्री भैरूलाल, वयस्क
दोनों निवासी – ग्राम कूमड़ा,
तहसील जीरापुर, ज़िला राजगढ़ .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

सरदार बाई आत्मज किशनलाल, वयस्क
निवासी – ग्राम कूमड़ा, तहसील जीरापुर,
ज़िला भोपाल .... प्रतिप्रार्थी

आज दिनांक 11/7/18 को श्री बी.के. श्रीवास्तव द्वारा कैम्प भोपाल में प्रस्तुत। 11/7/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.06.2018 , जो प्रकरण क्र. 113/अपील/2015–16 में न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कूमड़ा, तहसील जीरापुर, ज़िला राजगढ़ स्थित भूमि खसरा क्रमांक 136 रकबा 2.605 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के पिता भैरूलाल के नाम पर न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील माचलपुर के न्यायालय के प्रकरण क्र निल/अ–46/84–85 में पारित आदेश दिनांक 20.05.1985 के द्वारा किया गया है। उक्त आदेश का अमल नामांतरण पंजी क्र. 01, जिसका प्रमाणीकरण दिनांक 20.05.1985 को किया गया।

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
निरंतर एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–4829 / 2018 जिला –राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.08.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री व्ही0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 113/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.6.18 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदिका सरदारबाई पुत्री किशन लाल गुर्जर निवासी कुमडा तहसील जीरापुर ने अनुविभागीय अधिकारी जीरापुर/खिलचीपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा कुमडा की भूमि खसरा कमांक 136 खसरा न. 3 रकबा 2.605 है0 पर धोखाधडी कर बिना किसी आधार प्रकिया के आवेदकगण द्वारा अपना नाम नामांतरण करा लिया गया है। इसकी जांच कर अवैध नामांतरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया था जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16/04/08 द्वारा अपील स्वीकार की जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो 113/अपील/2015–16 पर दर्ज होकर दिनांक 18/06/18 को अपील अस्वीकार की गई। जिससे दुखित होकर निगरानी	

इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संशोधन पंजी क. 1 में पारित प्रमाणीकरण दिनांक 20/05/1985 के अनुसार 109/110 के तहत तत्कालीन नायब तहसीलदार माचलपुर के प्र. क. निल/ अ–46/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 20/05/85 के अनुसार विवादित भूमि भैरूलाल पिता उंकारलाल के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया गया है। प्र. क. निल होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संदेहस्पद की स्थिति उत्पन्न होने से मूल प्रकरण के संबंध में विचारण न्यायालय से दायरा पंजी के संबंध में नायब तहसीलदार माचलपुर एवं प्रवाचक से रिपोर्ट प्राप्त की। उनके द्वारा लिखित में अवगत कराया था कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में धारा 109,110 संहिता के अंतर्गत कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20/05/85 का आदेश निरस्त कर वास्तविक भूमि स्वामी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 16/04/08 पारित किया जिसे आयुक्त भोपाल द्वारा स्थिर रखा गया है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने से उसमें मैं हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं समझता हूं। अतः आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्र. क्र. 113/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 18/06/18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राहय की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य